



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-24042020-219125
CG-DL-E-24042020-219125

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 155]
No. 155]

नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 24, 2020/वैशाख 4, 1942
NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 24, 2020/VAISAKHA 4, 1942

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2020

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020

सं. आई.बी.बी.आई./2020-2021/जी.एन./आर.ई.जी.058.—भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) की धारा 240 के साथ पठित धारा 196, धारा 203 और धारा 205 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

1. (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020 है।

(2) ये 28 मार्च, 2020 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।

2. भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 की अनुसूची के खंड 12क में,-

(i) उपखंड (5) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु यदि भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से 30 सितम्बर, 2020 तक प्राप्त किसी आवेदन के लिए एजेंसी द्वारा नियतकार्य के लिए प्राधिकार, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर जारी, नवीकृत या नामंजूर नहीं किया जाता है तो एजेंसी द्वारा प्राधिकार, यथास्थिति, जारी या नवीकृत किया गया समझा जाएगा।”;

(ii) उपखंड (7) में निम्नलिखित अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“परन्तु जहां किसी दिवाला व्यावसायिक एजेंसी द्वारा नियतकार्य के लिए प्राधिकार जारी करने संबंधी कोई आवेदन भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2020 के प्रारंभ होने की तारीख से 30 सितम्बर, 2020 तक नामंजूर किया गया है वहां नामंजूर किए जाने वाले आदेश से व्यथित आवेदक आदेश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर सदस्यता समिति को अपील कर सकेगा।”।

डॉ. एम. एस. साहू, अध्यक्ष

[विज्ञापन-III/4/असा. /11/2020-21]

टिप्पण: भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4, सं. 421, तारीख 22 नवम्बर, 2016 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2016-17/जी.एन./आर.ई.जी.001, तारीख 21 नवम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् उनमें -

(1) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 383, तारीख 11 अक्टूबर, 2018 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2018-19/जी.एन./आर.ई.जी.35, द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2018 तारीख 11 अक्टूबर, 2018; और

(2) भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 3, खंड 4, सं. 261, तारीख 23 जुलाई, 2019 में अधिसूचना सं. आई.बी.बी.आई./2019-20/जी.एन./आर.ई.जी.043, द्वारा प्रकाशित भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) (संशोधन) विनियम, 2019 तारीख 23 जुलाई, 2019, द्वारा उनमें संशोधन किए गए।

स्पष्टीकारक ज्ञापन

भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड के शासी बोर्ड ने तारीख 28 मार्च, 2020 को भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड (आदर्श उप-विधियां और दिवाला व्यावसायिक एजेंसियों का शासी बोर्ड) विनियम, 2016 में संशोधन करने का विनिश्चय किया। केन्द्रीय सरकार द्वारा कोविड-19 के प्रकोप के परिणामस्वरूप 25 मार्च, 2020 से घोषित राष्ट्रव्यापी लॉक-डाउन के कारण विनियमों में संशोधन करने वाली अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित नहीं की जा सकी। अतः संशोधनकारी विनियमों को 28 मार्च, 2020 से प्रभावी करने की दृष्टि से इस टिप्पण के साथ बोर्ड की वेबसाइट पर प्रकाशित किया गया था कि उन्हें भारत के राजपत्र में तब प्रकाशित किया जाएगा जैसे ही भारत सरकार का मुद्रणालय इसे प्रकाशनार्थ स्वीकार करता है। शासी बोर्ड का आशय संशोधित विनियमों को 28 मार्च, 2020 से प्रवृत्त करना था।

यह प्रमाणित किया जाता है कि चूंकि संशोधित विनियम दिवाला व्यावसायिकों को उस रूप में व्यवसाय करने के लिए नियत कार्य हेतु प्राधिकार प्राप्त करने में सुकर बनाते हैं इसलिए इन्हें भूतलक्षी प्रभाव देने से किसी भी व्यक्ति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डाला जा रहा है।

INSOLVENCY AND BANKRUPTCY BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2020

Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2020.

No. IBBI/2020-2021/GN/REG058.—In exercise of the powers conferred by sections 196, 203 and 205 read with section 240 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (31 of 2016), the Insolvency and Bankruptcy Board of India hereby makes the following regulations further to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, namely:—

1. (1) These regulations may be called the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2020.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from the 28th March, 2020.

2. In the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016, in the Schedule, in clause 12A, -

(i) in sub-clause (5), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that, for an application received on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2020 and ending on the 30th September 2020, if the authorisation for assignment is not issued, renewed or rejected by the Agency within thirty days of the date of receipt of application, the authorisation shall be deemed to have been issued or renewed, as the case may be, by the Agency.”;

(ii) in sub-clause (7), the following shall be inserted, namely: -

“Provided that, where an application for issue of authorisation for assignment has been rejected by an insolvency professional agency, on and from the date of commencement of the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye- Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2020 and ending on the 30th September, 2020, the applicant aggrieved of an order of rejection may appeal to the Membership Committee within thirty days from the date of receipt of order.”.

Dr. M. S. SAHOO, Chairperson

[ADVT.-III/4/Exty./11/2020-21]

Note: The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016 were published *vide* notification No. IBBI/2016-17/GN/REG001 dated 21st November, 2016 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 421 on 22nd November, 2016 and were subsequently amended by-

(1) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2018 dated the 11th October, 2018 published *vide* notification No. IBBI/2018-19/GN/REG35 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 383 on 11th October, 2018; and

(2) The Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) (Amendment) Regulations, 2019 dated the 23rd July, 2019 published *vide* notification No. IBBI/2019-20/GN/REG043 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, No. 261 on 23rd July 2019.

Explanatory Memorandum

The Governing Board of the Insolvency and Bankruptcy Board of India decided on 28th March, 2020 to amend the Insolvency and Bankruptcy Board of India (Model Bye-Laws and Governing Board of Insolvency Professional Agencies) Regulations, 2016. The notification amending the regulations could not be published in the Gazette of India, due to the nationwide lockdown declared by the Central Government w.e.f. 25th March, 2020, in the wake of the outbreak of Covid-19. The amendment regulations were, therefore, published on the website of the Board for it to be effective from the 28th of March, 2020, with a note that the same shall be published in the Gazette of India as soon as the Government Press accepts the notification for publication. The intention of the Governing Board was to bring into force the amended regulations with effect from the 28th March, 2020.

It is certified that, since the amendment regulations facilitate insolvency professionals to obtain authorisation for assignment to practice as such, no person is being adversely affected by giving retrospective effect.